सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 14.06.2026

➢ थाना चोपन एवं बीजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता-

➢ वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण-

➢ 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 08 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **श्री अनिल कुमार**, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल**, क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्रा** एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री राजेश कुमार राय** के पर्यवेक्षण में थाना चोपन एवं थाना बीजपुर पुलिस टीमों को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दोनों थानों की पुलिस टीमों द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए कुल 02 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे एवं निशानदेही पर ***कुल 08 अदद*** चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। थाना चोपन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें तथा थाना बीजपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

बरामदगी का विवरण-

1. 03 अदद अपाची मोटरसाइकिल **(थाना चोपन)**
2. 01 अदद हीरो स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल **(थाना चोपन)**
3. 01 अदद अपाची आरटीआर **(थाना बीजपुर)** सिंगरौली मध्य प्रदेश के मोरवा थाना पर अभियोग पंजीकृत है।
4. 01 अदद होण्डा ड्रीम योगा **(थाना बीजपुर)**
5. 02 अदद स्प्लेंडर **(थाना बीजपुर)**

1. थाना चोपन

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13/14.06.2026 की रात्रि में थाना चोपन पुलिस टीम द्वारा वैष्णो डाला मंदिर के समीप बैगा टोला मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति को बिना नम्बर प्लेट लगी अपाची मोटरसाइकिल के साथ रोका गया। पूछताछ एवं सत्यापन के दौरान उक्त मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई। अभियुक्त की निशानदेही पर बैगा टोला क्षेत्र स्थित एक खण्डहर मकान से 03 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। इस प्रकार कुल 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें (03 अदद अपाची एवं 01 अदद हीरो स्प्लेन्डर) बरामद की गईं।

कृत कार्यवाही-

बरामद मोटरसाइकिलों का ई-चालान ऐप के माध्यम से सत्यापन किया गया, जिसमें दो मोटरसाइकिलें थाना चोपन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0182/2026 एवं मु0अ0सं0 0210/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित पाई गईं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त राजेश गौड़ ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों राहुल गौड़, दीपक यादव एवं रोशन यादव के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी की थीं। बरामद अपाची मोटरसाइकिल को वह बेचने के उद्देश्य से बिहार ले जा रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की अन्य तीन मोटरसाइकिलें भी बरामद की गईं। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों की संलिप्तता भी स्वीकार की गई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नाम – राजेश गौड़

पिता का नाम – हरिश्चन्द्र गौड़

उम्र – लगभग 20 वर्ष

निवासी – गड़इडीह कस्बा चोपन, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र

2. थाना बीजपुर

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.06.2026 को थाना बीजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र सिरसोती के पास अभियुक्त रामदिहल प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

कृत कार्यवाही- बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में थाना बीजपुर पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्त रामदिहल प्रजापति ने चोरी की मोटरसाइकिलों के संबंध में पूछे जाने पर चोरी करना स्वीकार किया। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में चोरी, आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नाम – रामदिहल प्रजापति
पिता का नाम – रामकरन प्रजापति
निवासी – ग्राम नेमना, थाना बीजपुर, जनपद सोनभद्र

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 102/2019, धारा 380/411 भा.दं.वि., थाना बीजपुर।
2. मु0अ0सं0 65/2020, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना म्योरपुर।
3. मु0अ0सं0 78/2020, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बीजपुर।
4. मु0अ0सं0 33/2023, धारा 380, 411, 414, 436, 457 भा.दं.वि., थाना बभनी।
5. मु0अ0सं0 67/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बीजपुर।
6. दिनांक 02.06.2026, धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, थाना बीजपुर।

अभियुक्त थाना बीजपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

थाना चोपन-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गोपाल जी गुप्ता थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 घनश्याम तिवारी थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 दुनिया सिंह थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
4. उ0नि0 श्री प्रकाश थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
5. हे0का0 सिताराम यादव, हे0का0 शिवसरण राम, हे0का0 अजय यादव थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
6. का0 सच्चिदानन्द मिश्रा, का0 श्रीकान्त, का0 अनील कुमार, का0 मन्टू सिंह, थाना चोपन जनपद सोनभद्र।

थाना बीजपुर-

1. थानाध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिंह थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 कमलाकांत पाण्डेय थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 भानु प्रताप यादव, का0 राम प्रकाश यादव, म0का0 रागिनी श्रीवास्तव, का0 हरिन्द्र थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सतत जारी है।